न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी मुकाम रायसिंहनगर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

प्र.सं. 119 / 2023
जीसीएमएस : 2023 / 265

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री मलूराम जाति नायक साकिन 18 के.एस.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.

—:वादीगण

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।

—:प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 राज.काश्त. अधि. एवं 125—136 राज. भू. राज. अधि.

तारीख रजू 14.07.2023

उपस्थित अधिवक्तागण
1. श्री सुशील कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
2. राजपेरोकार सरकार

—: निर्णय :— दिनांक : 05.09.2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया। कि मुताबिक जमाबन्दी संवत 2076—2079 वाके चक 8 एम. के. तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 84 में पं.नं. 162 / 297 मु.नं. 34 के कि.नं. 13 व 14 प्रत्येक 0.253 है. कुल खाता योग 0.506 है. नहरी कृषि भूमि वादी के नाम से खातेदारी दर्ज है। कि वादी का इसी सही व वास्तविक नाम राजेन्द्र कुमार ही है और इसी नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाता है तथा व्यक्तिगत दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान—पत्र, जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक पास—बुक इत्यादि में एवं वादी के बच्चों के दस्तावेजात में बतौर पिता वादी का यही सही नाम राजेन्द्र कुमार ही दर्ज है। वादी को बचपन में उसके परिजन पिता, दादा आदि प्यार से घेरलू नाम मामराज के नाम से पुकारते थे, इस प्रकार वादी को बचपन में मामराज के नाम से पुकारने से वादी को दोनों नाम से जाना—पहचाना जाता है ये दोनों नाम वादी के है अलग—अलग व्यक्ति के नहीं है। मगर वादी का सही व वास्तविक दस्तावेजी प्रचलित नाम राजेन्द्र कुमार ही है और होश संभालने उपरान्त वादी को उसके सही व वास्तविक नाम से पुकारा, जाना—पहचाना जा रहा है, इसलिए उसके सभी व्यक्तिगत दस्तावेज में वादी का नाम राजेन्द्र कुमार ही दर्ज है। मगर वादी ऊपर वर्णित कृषि भूमि की जमाबंदी व राजस्व अभिलेखों में वादी का सही व वास्तविक नाम राजेन्द्र कुमार दर्ज न होकर मामराज पूर्वजों द्वारा दर्ज करवा देने से वादी के व्यक्तिगत दस्तावेज व राजस्व दस्तावेज में नाम मे भिन्नता आ गई, राजस्व अभिलेखों में उक्त नाम की गलती मानवीय भूल है। राजस्व अभिलेखों में वादी के नाम की हुई उक्त त्रूटि का सुधार नहीं कर उसके निरन्तर रहने से वादी को आइन्दा भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड जारी करवाने, हस्तान्तरण करने ऋण आदि लेने व अन्य सरकारी योजनाओं व अनुदान आदि का लाभ लेने में भारी दिक्कते व परेशानिया उठानी पड़ेगी व लाभ प्राप्ति से वंचित होने का अन्देशा रहेगा। इसके अलावा वादी के वारिसान को भी भविष्य में भारी परेशानियां उठानी पड़ेगी ओर उनके नाम भूमि अन्तरित होने में परेशानी होगी। इसलिए वादी अपने नाम की दुरूस्ती करवाते हुये राजस्व अभिलेखों में अपना सही व वास्तविक नाम राजेन्द्र कुमार दर्ज करवा पाने का कानूनन अधिकारी है। [illegible] मुकाम रायसिंहनगर सम्पर्क कर जामबंदी व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती का [illegible] पर प्रथमतः टालमटोल करते हुये अंततः दिनांक 10.04.2023 को [illegible] दिया कि न्यायालय के डिक्री / आदेश से ही दुरूस्ती हो सकती। यही तारीख पैदा होने बिनाये दावा मुखास्मत है। वादी के समक्ष वांछित अनुतोष प्राप्ति के लिये वाद प्रस्तुत करने के अलावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 14:49:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

अन्य कोई चारा शेष नहीं रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मुताबिक जमाबन्दी संवत 2076–2079 वाके चक 8 एम. के. तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 84 में पं.नं. 162/297 मु.नं. 34 के कि.नं. 13 व 14 प्रत्येक 0.253 है. कुल खाता योग 0.506 है. नहरी कृषि भूमि वादी के नाम से खातेदारी दर्ज है। वादी का इसी सही व वास्तविक नाम राजेन्द्र कुमार ही है अतः समस्त रिकार्ड में वादी के नाम की दुरूस्ती करते हुए वादी के नाम **"मामराज"** के स्थान पर **"राजेन्द्र कुमार"** दर्ज करने के आदेश फरमावे।

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। ग्राम पंचायत 17 केएनडी ए के सरपंच के द्वारा भी अवगत करवाया गया है कि राजेन्द्र कुमार व मामराज पुत्र मलूराम जाति नायक दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है मामराज बचपन का नाम था। प्रतिवादी संख्या 1 राजस्थान सरकार की तरफ से तहसीलदार रायसिंहनगर के द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2169 दिनांक 22.05.2024 उक्त प्रकरण में चक 8 एम. के. तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 84 में पं.नं. 162/297 मु.नं. 34 के कि.नं. 13 व 14 प्रत्येक 0.253 है. कुल खाता योग 0.506 है. नहरी भूमि मामराज पुत्र मलूराम जाति नायक सा. मुकलावा के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी अपना नाम मामराज पुत्र मलूराम के स्थान पर राजेन्द्र कुमार पुत्र मलूराम दुरूस्त करवाना चाहता है। मौके पर उपस्थित मौजीम व्यक्तियों द्वारा भी मामराज पुत्र मलूराम व राजन्द्र कुमार पुत्र मलूराम दोनों नाम एक ही व्यक्ति के होना बताया हैं प्रार्थी हाल में 18 केएनडी रावला मे निवास करता है तथा ग्राम पंचायत 17 के.एन.डी. ए (खानूवाली) के सरपंच द्वारी जारी प्रमाण–पत्र मामराज पुत्र मलूराम व राजेन्द्र कुमार पुत्र मलूराम एक ही व्यक्ति के दो नाम होना प्रमाणित किया है पुराना राशन कार्ड में भी नाम मामराज पुत्र मलूराम है। समस्त दस्तावेजों व पटवारी हल्का मुकलावा की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर प्रार्थी का नाम मामराज पुत्र मलूराम की जगह मामराज उर्फ राजेन्द्र कुमार पुत्र मलूराम किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः मामराज पुत्र मलूराम की जगह मामराज उर्फ राजेन्द्र कुमार पुत्र मलूराम किये जाने की अनुशंषा अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा की जाती है।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, तहसीलदार रायसिंहनगर की मौका रिपोर्ट व शपथ पत्र वादी का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 8 एम. के. तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 84 में पं.नं. 162/297 मु.नं. 34 के कि.नं. 13 व 14 प्रत्येक 0.253 है. कुल खाता योग 0.506 है. नहरी भूमि मामराज पुत्र मलूराम जाति नायक सा. मुकलावा के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादी का सही व वास्तविक नाम राजेन्द्र कुमार है वादी के व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजात राशनकार्ड, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, जन आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पास–बुक, मूल निवास प्रमाण–पत्र. इत्यादि और सरपंच (ग्राम पंचायत 17 के.एन.डी. ए (खानूवाली) द्वारा भी इस संबंध में प्रमाण पत्र दिनांक 22.06.2022 जारी किया गया है प्रमाण–पत्र में अंकित है कि मामराज पुत्र मलूराम व राजेन्द्र कुमार पुत्र मलूराम एक ही व्यक्ति के दो नाम होना प्रमाणित किया है तथा बतोर पति व पिता वादी की धर्मपत्नी व बच्चों के व्यक्ति दस्तावेज में कंवलजीत सिंह है वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 14:49:51 IST
Reason: SelfAttested

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा [illegible] 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 125–136 मुताबिक जमाबन्दी संवत 2076 [illegible] चक 8 एम. के. तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 84 में पं.नं. 162/297 [illegible] के कि.नं. 13 व 14 प्रत्येक 0.253 है. कुल खाता योग 0.506 है. <u>में अंकित नाम मामराज पुत्र [illegible] राम के स्थान पर</u>

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

…मराज उर्फ राजेन्द्र कुमार पुत्र मलूराम दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाव्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

सुभाषचन्द्र
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

निर्णय आज दिनांक 05.09.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

सुभाषचन्द्र
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 14:49:51 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner